

13.06.2024 पत्रावली पेक्षा दुई ।

अधिकता प्रार्थनागण प्रवृत्ति/अधिकता प्रार्थनागण ने अपने प्राथमिक-पत्र जरिये नोटिसेस के खारिज करने का निवेदन किया है।

अतः अधिकता प्रार्थनागण के निवेदन पर प्राथमिक-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कायदा अधिनियम के इसी स्तर पर जरिये नोटिसेस खारिज किया जात है।

पत्रावली फेसल सुन्या होकर नम्बर से कम की जाकर गणित दफ्तर है।

(9/10)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यालयिक मजिस्ट्रेट  
(फास्टट्रेक) सांचौर

Xerox प्रकृत

15/7

